

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन-भोपाल-462004

क.के.कातिया

कंमाक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 18/05/2016

प्रेषक:-

के.के.कातिया,
अपर सचिव,

प्रति,

✓ श्री कमलेश जोशी
टेक्निकल डायरेक्टर
एन. आई. सी., मंत्रालय
भोपाल

विषय:-अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण को वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधी।

कृपया उपरोक्त विषयांकित सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कंमाक 7-28/2009/आ.प्र./एक, दिनांक 07.02.2014 की प्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि साफ्टवेयर में उक्त परिपत्र में उल्लेखनुसार संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय

के.के.कातिया
(के. के. कातिया)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 07/02/2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण ।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-18/2000/आ.प्र./ एक,
दिनांक 25.02.2003, 25.08.2012 एवं 02.07.2013

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.02.2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये (क्रीमीलेयर) के मापदण्ड जारी किये गये हैं, जिन्हें परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 द्वारा पुनः एकजाई एवं संशोधित रूप में जारी किये गये हैं । 2/ विभिन्न स्तरों से समय-समय पर क्रीमीलेयर के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा जाता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने ज्ञापन क्रमांक 36033/5/2004-Estt (Res) दिनांक 14-10-2004 द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में अनेक प्रावधानों से संबंधित शंकाओं



निरंतर...2



का समाधान किया गया है, जो अग्रलिखित है :-

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(i)	क्या उन माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी है और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वह (वें) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;
(ii)	क्या उन माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II समूह 'ख' अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाये अथवा वह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए, और
(iii)	क्या उन माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी II समूह 'ख' अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाय, यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थाई अक्षमता से पूर्व इनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि से किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो ?	(ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II /समूह 'ख' के अधिकारी है और दोनों की ही सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाये भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 05 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जावेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(iv)	ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा-श्रेणी के कारण संपन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी संपन्न वर्ग में बने रहेंगे ?	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर <u>संपन्न वर्ग</u> में शामिल माना गया है, <u>संपन्न वर्ग</u> में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गये हो अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गयी हो ।
(v)	क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ संपन्न वर्ग (किमीलेयर) के अंतर्गत माने जावेंगे ? जिनमें पति, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-3/समूह-“ग” अथवा श्रेणी-4/समूह “घ” कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी -1/समूह “क” अधिकारी बन गया हो ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे पुत्र एवं पुत्रियाँ जिनके माता-पिता मे से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह ‘ख’ अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह ‘क’ अधिकारी बन जाए, संपन्न वर्ग के अंतर्गत माने जावेंगे । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी III/समूह ‘ग’ अथवा श्रेणी IV/समूह ‘घ’ कर्मचारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी I/समूह ‘क’ अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र एवं <u>पुत्रियाँ संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे ।</u>



क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(vi)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी II /समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या उससे पहले श्रेणी I /समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि उम्मीदवारों के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके <u>माता-पिता के दर्जे</u> के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके
(vii)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा जिसकी सकल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से संपत्तिकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?	पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवारों की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं
(viii)	अनुदेशों में यह प्रावधान है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I / समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जावेगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरुष जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' के अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ?	रखा जावेगा ।

dmf



क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(ix)	सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं की गई है, के पुत्र एवं पुत्रियों संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया जाता है :- माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक से निर्धारण किया जाय। यदि माता-पिता के वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन एवं कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों संपन्न वर्ग के अंतर्गत माने जावेगे। किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 6.00 लाख प्रतिवर्ष से कम है, के पुत्र एवं पुत्रियों को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जावेगा चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 6.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ही क्यों न हो, यह भी ध्यान रखा जाय कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जावेगा ।
(x)	आय/संपत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिये गये	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि कार्यालय ज्ञापन की अन्य सूची की

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
	स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जायेगा ।" की व्याप्ति की सीमा तक है ?	श्रेणी-VI में दिये गये अनुसार किसी उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिये आय/संपत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय नहीं गिना जावेगा । इसका तात्पर्य यह है, कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो और कृषि भूमि से होने वाली आय 6.00 लाख रुपये से अधिक हो किंतु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 6.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो तो आय/संपत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को <u>संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जावेगा</u> बशर्ते के उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों के अवधि से संपत्ति कर अधिनियम यथा-निर्धारित सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

3/ कृपया, अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखने हेतु सक्षम अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ।


(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ०७ / 02 / 2014

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।



3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, /अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल /सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ।
 7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
 9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
 10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी /सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
 12. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर /इंदौर /ग्वालियर ।
 13. आयुक्त, पिछडा वर्ग कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 14. प्रमुख सचिव /सचिव /उप सचिव / मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
 15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Jnal

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-18/2000/आ0प्र0/एक,
दिनांक 25-2-2003, दिनांक 28 जुलाई, 2006 एवं एफ 7-28/
2009/आ0प्र0/एक, दिनांक 02 जून, 2009.

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25-2-2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कीमीलेयर के मापदण्ड जारी किए गए थे तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा कीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि करने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा भी संशोधन किया गया है। अनेक माध्यमों से मूल मापदण्डों में आंशिक शाब्दिक त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षित करने के फलस्वरूप उनमें संशोधन तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों को शामिल कर एकजाई मापदण्ड जारी किए जा रहे हैं, जो संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार.

(आर0के0 गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



पृ० क्रमांक एफ 7-28 / 2009 / आ.प्र. / एक,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2012

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश मंत्रालय-भोपाल।
4. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, म०प्र० व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर।
13. संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपाक्स, जी-87, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल।
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी, अपार्टमेंट द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता हैदराबाद-500082.
16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग / अनुसूचित जनजाति आयोग / अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
18. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण / अभिलेख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(आर.के.गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



कीमीलेयर के मापदण्ड

क.	प्रवर्ग का वर्णन	क.	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3	4

- | | |
|--|---|
| <p>1. संवैधानिक पद</p> | <p>1. निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)</p> <p>(क) भारत के राष्ट्रपति</p> <p>(ख) भारत के उपराष्ट्रपति</p> <p>(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश.</p> <p>(घ) संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक</p> <p>(ङ) समान स्वरूप के संवैधानिक पदों का धारण करने वाले व्यक्ति</p> |
| <p>2. सेवा प्रवर्ग
(सर्विस केटेगरी)</p> <p>(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह-ए /वर्ग-1 अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त)</p> | <p>निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)</p> <p>(क) जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग-I अधिकारी है।</p> <p>(ख) जिनके माता पिता में से कोई एक वर्ग-I अधिकारी है।</p> <p>(ग) जिनके माता पिता में से दोनों ही वर्ग-I अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।</p> <p>(घ) जिनके माता पिता में से एक वर्ग-I अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो।</p> <p>(ङ) जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग-I के अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थाई तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते हैं</p> |

Amal

और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो। परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :-

- (i) उनकी पुत्र एवं पुत्रियां जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों वर्ग-I अधिकारी है किन्तु उसकी/उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।
- (ii) अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह वर्ग-I अधिकारी से हुआ है, भले ही अधिकारी पिछड़ा वर्ग का हो अथवा नहीं, तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।
- (iii) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग-I का अधिकारी है तथा वह सेवा निवृत्त हो चुका है।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह बी/वर्ग-II के अधिकारी (सीधी भरती) द्वारा नियुक्त।

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों)

- (क) जिनके माता पिता दोनों ही वर्ग-II के अधिकारी हैं।
- (ख) जिनके माता पिता में से केवल पति वर्ग-II का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व आयु में वर्ग-I अधिकारी बनता है।
- (ग) जिनके माता पिता दोनों ही वर्ग-II के अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
- (घ) जिनके माता पिता में से पति वर्ग-I अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी वर्ग-II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाये, अथवा अस्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, तथा

Ans

(ड) जिनके माता पिता में से पत्नी वर्ग-I अधिकारी हो (सीधी भरती से अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) एवं पति वर्ग II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाये अथवा यह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये।
परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :-

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों)

(क) जिनके माता पिता दोनो वर्ग-II अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ख) जिनके माता तथा पिता दोनों वर्ग-II अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(ग) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग-II का अधिकारी है तथा वह सेवा निवृत्त हो चुका है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों इत्यादि के कर्मचारी

इस प्रवर्ग में उपर्युक्त "क" तथा "ख" में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा। साथ ही गैर सरकारी (प्रायवेट) समकक्ष या समतुल्य पदों एवं स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में समकक्ष या तुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन लंबित है तो निम्न प्रवर्ग VI में अंकित मापदण्ड इन संस्थानों के अधिकारियों पर लागू होंगे।

3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)

उन माता पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों) जिनमें से कोई एक अथवा दोनो सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जल सेना और वायु सेना एव अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है परन्तु,



- (एक) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जायेगी।
- (दो) पति तथा पत्नी के कर्नल के नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं किया जायेगा।
- (तीन) यहाँ तक की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मददेनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह पद संख्या-2 के तहत् सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए। ऐसे मामले में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्तें उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।

विशेष टीप: प्रवर्ग 2 के (क) एवं (ख) तथा प्रवर्ग-3 के अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं सशस्त्र सेना, जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

4. व्यावसायिक: वर्ग प्रवर्ग-6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हो,

- (1) चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउण्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता वास्तुकार, कम्प्युटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटककार, पेशेवर खिलाड़ी, खेल व्यवसायी जनसंचार व्यवसायी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति।

(2) व्यापार, कारोबार तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति

प्रवर्ग-6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण -

dnf

- (1) चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी वर्ग-2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा।
- (2) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति वर्ग-2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
5. सम्पत्ति धारक (एक) एक ही परिवार (माता-पिता अव्यस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियों) जो निम्नलिखित के स्वामी हैं।
- (क) कृषि क्षेत्र (एक) सिंचित क्षेत्र प्रवर्ग-6 के समक्ष, विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे
- (दो) यदि परिवार के पास जोत क्षेत्र है, वह पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है, तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
- (ख) बागान
(एक) कॉफी, चाय, रबर आदि
(दो) आम, खट्टे फल, सेव के बाग आदि
(ग) शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में भवन और/या खाली भूमि
- नीचे प्रवर्ग-6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा।
इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जावेगा इसलिए इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" मापदण्ड लागू होगा।
नीचे प्रवर्ग-6 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा।
स्पष्टीकरण :- भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6. आय/सम्पत्ति आंकलन (क) उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियों, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय (रूपये 4.50 लाख) (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं।
- (ख) श्रेणी-I, II, III और V-क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियों।
- (i) स्पष्टीकरण-वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

dmf

- (ii) रूपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जायेगा।
परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतर अवधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :- (1) इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" का प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये नहीं रखा जा सकें।

dnaf

— X —